

पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,

“निर्माण भवन,” प्रथम तल, प्लाट नं.27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल(म.प्र.)

web site: www.mppwd.gov.in

email:-sepwdadminenc@mp.nic.in

Phone- 0755-2551485, Fax- 2556527

क्रमांक 303/034/2008/पार्ट-ए/2342

भोपाल, दिनांक 18/10/2016

// आदेश //

पी.ई.बी. भोपाल द्वारा विभाग में उपयंत्री(वि/यां.) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में निम्नांकित चयनित उम्मीदवार को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम-1972 (संशोधन सहित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभाग में उपयंत्री (वि/यां.) के पद पर वेतनमान -PB-2-₹ 9300-34800+Grade Pay ₹ 3200/-में शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते सहित अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन स्थानापन्न रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

स. क्रं	वर्ग	उम्मीदवार का नाम एवं पिता का नाम	नियुक्ति पश्चात प्रथम पदस्थगी स्थान का नाम	संयुक्त वरिष्ठता क्र.
1	2	3	4	5
1	अ.जा.	श्री नरेन्द्र सिंह परमार आत्मज श्री रतन सिंह परमार,	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/याँ उपसंभाग उज्जैन (वि/याँ संभाग उज्जैन)	22
2	अ.पि./महिला	सुश्री मोनिका सोनी आत्मज श्री सुशील कुमार सोनी	कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक, लो.नि.वि. पी.आई.यू. रीवा	32
3	अ.जा.	श्री सुनील प्रजापति आत्मज श्री सी.आर. प्रजापति	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/याँ उपसंभाग सागर (वि/याँ संभाग सागर)	36
4	अनु.जनजाति	श्री ब्रिजेश कुमार कोल आत्मज श्री रमेश कुमार कोल	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/याँ उपसंभाग रतलाम (वि/याँ संभाग उज्जैन)	42
5	अ.ज.जा.	श्री प्रवीण जामरे आत्मज श्री सिताराम जमरे	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/याँ उपसंभाग झाबुआ (वि/याँ संभाग इन्दौर)	44
6	अ.ज.जा.	श्री अनिल मकवाने आत्मज श्री एम.एस. मकवाने	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/याँ उपसंभाग आगर-मालवा (वि/याँ संभाग उज्जैन)	47
7	अ.ज.जा.	श्री विशाल वर्मा आत्मज श्री बालकृष्ण वर्मा	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/याँ उपसंभाग शाजापुर (वि/याँ संभाग उज्जैन)	48
8	अ.जा./महिला	सुश्री रुचि मंथनवार आत्मज श्री आर.के. मंथनवार	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/याँ उपसंभाग कटनी (वि/याँ संभाग जबलपुर)	49

51.

9	अ.ज.जा.	श्री प्रवीण उइके, आत्मज श्री मंगलू उइके	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/यॉ उपसंभाग मन्दौर (वि/यॉ संभाग उज्जैन)	50
10	अ.ज.जा.महिला	सुश्री लारिन फ्रांसिस आत्मज इसीदोरे फ्रांसिस	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/यॉ उपसंभाग सीहोर (वि/यॉ संभाग क्र. 2 भोपाल)	53
11	अ.पि.व/ भू.पू.सै/ओपन	श्री प्रेमनारायण बिर्ला, आत्मज श्री चेताराम	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि.वि/यॉ उपसंभाग रतलाम (वि/यॉ संभाग उज्जैन)	58

स.क्र.6 पर उल्लेखित श्री अनिल मकवाने के निःशक्तता के संबंध में अध्यक्ष जिला मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया गया, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जय प्रकाश चिकित्सालय जिला भोपाल के पत्र क्र. डी.एम.बी./2016/7435, दिनांक 20/09/2016 में लेख है कि श्री मकवाने का विकलांग प्रमाण-पत्र जावक क्र. 1081 दिनांक 12/10/2015 से सहमत हैं। श्री मकवाने की नियुक्ति निःशक्तजन कोटे में नहीं हुई है।


शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता पी.ई.बी. द्वारा चयन क्रम के अनुसार रहेगी।
2. अभ्यर्थी को संपूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
3. उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1972 के अध्यक्षीन होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्यक्षीन रहेंगे।
4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम, 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को पदस्थगी स्थान पर अपनी उपस्थिति सूचना के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र एवं निःशक्तजनों के लिए निःशक्तता प्रमाण-पत्र मूल एवं उनकी सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत कर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करवाना होगा।
7. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में भविष्य में असत्य अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
8. अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में विहित विभागीय परीक्षा (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

B.

9. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के अंदर अपने पदस्थगी स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
10. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित पेंशन अंशदान प्रणाली लागू होगी।
11. अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र अपने निकटस्थ अधिकारी को भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित अधिकारी उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवायेगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अभ्यर्थी के विरुद्ध पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।


प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।


 (अखिलेश अग्रवाल)
 प्रमुख अभियंता,
 लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,
 भोपाल दिनांक 18/10/2016

पृ. क्रमांक 303/034/2008/पार्ट-ए/2343
 प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल
4. नियंत्रक, मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल
5. परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लो.नि.वि.म.प्र.भोपाल
6. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश
7. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, वि/यां.मंडल, भोपाल
8. अतिरिक्त परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. रीवा की ओर सूचनार्थ
9. अधीक्षण यंत्री (आई.टी.सेल) कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., भोपाल की ओर आदेश अपलोड करने हेतु।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, उज्जैन/रीवा/सागर/रतलाम/झाबुआ/आगर-मालवा/शाजापुर/कटनी/मन्दसौर/सीहोर।
11. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, वि/यां संभाग उज्जैन/क्र. 2 भोपाल/जबलपुर/सागर/इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 निर्देशित किया जाता है, कि नवनियुक्त उपयंत्री की उपस्थिति के समय नियमानुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर, नवनियुक्त उपयंत्री को उनके पदस्थगी स्थान पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें एवं संबंधित की उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
12. संचालक, सैनिक कल्याण, गुरुतेग बहादुर कॉम्प्लेक्स, पोस्ट बॉक्स नं. 364, टी.टी.नगर, भोपाल-03
13. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के पत्र क्र. जा.प्र.प/2015/129, दिनांक 14/08/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
14. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (बड़वानी) के पत्र क्र. जा.प्र.स/2016/3351, दिनांक 05/09/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
15. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कटनी के पत्र क्रमांक 2316/अ.वि.अ./त-2/2016, दिनांक 09/09/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
16. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना के पत्र क्रमांक 2811/अनु.अधि./2014, दिनांक 09.09.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

17. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डलेश्वर जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1897/री-2/2016, दिनांक 15.09.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
 18. कार्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 6610/व.लि.1/2016 दिनांक 12/09/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
 19. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर, जिला धार के पत्र क्र. 2772/रीडर-2/2016, दिनांक 27-09-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
 20. कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जबलपुर के पत्र क्रमांक 1541/जॉच/आवि/2016, दिनांक 20/09/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
 21. अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आष्टा जिला सीहोर की ओर उनके पत्र क्र. 756/रीडर/2016, दिनांक 7-9-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
 22. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बडवाह जिला खरगौन की ओर उनके पत्र क्र. 2107/रीडर-3/16, दिनांक 14-09-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 23. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सिहोरा जिला जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र. प्रवा 4/अविअ, दिनांक शून्य (13891, दि. 3-10-2016) के संदर्भ में सूचनार्थ।
 24. वरिष्ठ निज सहायक, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
 25. स्थापना शीर्ष-302/304/305 कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., भोपाल
 26. श्री सुनील प्रजापति, आत्मज श्री सी आर प्रजापति, धवारी 5 बिहाइंड खरे कुटीर सतना 485001
 27. श्री प्रवीण जामरे, आत्मज श्री सीताराम जामरे, 40-ए कुंदन नगर कुंदन नगर बडवानी 451551
 28. श्री विशाल वर्मा, आत्मज श्री बालकृष्ण वर्मा, 127 रेवेन्यू एरीया नवलपुरा मण्डलेश्वर 451221
 29. श्री प्रवीण उइके आत्मज श्री मंगलू उइके, 143 गोन्डूमण्डई, गोन्डूमण्डई चिचोली 460330
 30. श्री अनिल मकवाने, आत्मज श्री एम एस मकवाने, एच 118 पुरवांचल फेज 2 खजुरीकला हुजूर 462022
 31. सुश्री लॉरेन्स ग्लोरिया फ्रान्सीस, आत्मज श्री इसीदोरे फ्रान्सीस, 2/29 ई.एस.आई. हास्पिटल केम्पस सोनागिरी भोपाल 462021
 32. सुश्री रुचि मंथनवार आत्मज श्री रतन मंथनवार, 227 साकेत विहार पटेल नगर मानेगांव खामरीया जबलपुर 482005
 33. सुश्री मोनिका सोनी, आत्मज सुशील कुमार सोनी, आदर्श टायपिंग इंस्टीट्यूट रघुनाथ गंज कटनी, कटनी 483501
 34. श्री नरेन्द्र सिंह परमार, आत्मज श्री रतन सिंह परमार, रतन सिंह परमार मालवीय नगर कन्नोद रोड़ आष्टा 466116।
 35. श्री ब्रिजेश कुमार कोल आत्मज श्री रमेश कुमार कोल 398 मानेगांव पुरानी बस्ती बुधु कच्ची का बाडा, रांझी रांझी जबलपुर 482005
 36. श्री प्रेमनारायण बिर्ला, आत्मज श्री चेताराम 127 विलेज, बंगरडापोस्ट बंगरडा तहसील सनवाद 450551
- की ओर सूचनार्थ। कृपया उपसंभाग में पदस्थ किए गए अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित संभागीय कार्यालय में दे।


 प्रमुख अभियंता,
 लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश